न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—281/2018/225आर.टी.एक्ट (2018/00281)

1. श्योजी उर्फ शिवाजीराम पुत्र हुकमा, जाति धाकड़, निवासी बिलावटियाखेडा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
2. हरिराम पुत्र हुकमा, जाति धाकड़, निवासी बिलावटियाखेडा, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र छोटू, जाति धाकड़, निवासी बिलावटियाखेडा, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018, प्रकरण संख्या 67/17 बउनवानी रामलाल बनाम श्योजी.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 02.
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 67/17 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड सरवाड़ के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामलाल ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम बिलावटियाखेड़ा, पटवार क्षेत्र पीपरोली, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर में स्थित है। आराजी का विवरण निम्न इस प्रकार है— खाता संख्या नये 121, पुराने 104 के खसरा नंबर—311 किता 1, रकबा 06—01—00 बीघा है तथा जमाबंदी संवत् 2018—21 में आराजी खसरा नं. 394 रकबा 02—09—00

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किस्म नं. 1 वादी व उसके परिवार के नाम खातेदारी में दर्ज है तथ्य उक्त वर्णित आराजीयात एकमात्र वादी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है जिसमें वादी कृषि उपज पैदा कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित खसरा नं. 394 व 389, 390,391 को राजस्व अधिकारियों द्वारा नवीन खसरा नं. 311 मे समाहित कर दिया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है। खसरा नं.394 वादीगण की खातेदारी की आराजी है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने नाजायज अनाधिकृत तरीके से कानून व नियमों के विरूद्ध अपने ढंग से उक्त वर्णित आराजी को प्रतिवादीगण के खसरा नं. 311 में गलत रूप से जोड़ दिया है जिससे प्रतिवादीगण बदनीयतीपूर्वक उक्त वर्णित खसरा नं. पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। अराजीयात में वादी ने बाजरा की फसल काश्त कर रखी है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नं. 311 में दर्ज कर देने से प्रतिवादीगण मात्र लाठी की ताकत के आधार पर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। इस बाबत उक्त प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.07.17 को धमकी दी की हम तुम्हारी भूमि में काशत फसल को नष्ट करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगें। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस करने का कथन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर आदेश पारित कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14. 05.2018 के विरूद्ध यह अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व अभियान के दौराने ले जाया जाकर पत्रावली में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी जवाब देना नही चाहते है वर्णित करते हुए बिना किसी आधार के अपीलांटस/ अप्रार्थीगण खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। दिनांक 10.08.2018 को दखलअंदाजी किये जाने पर प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानकारी चाहे जाने पर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 14.05.2018 को आदेश होने बावत् अवगत कराया गया एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई जिस पर बिना देरी के उक्त अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध हैकि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात दौराने अपील बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का सम्पूर्ण आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 394 को 311 में सम्मिलित होना वर्णित करते हुए तथा खसरा नम्बर 394 की आराजीयात को स्वयं की आराजीयात में होना वर्णित कर राजस्व वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य का अवलोकन किये दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेख करते हुए आक्षेपित आदेश से वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 394 सम्वत 2018–2021 में रेस्पोडेन्ट के पिता की संयुक्त खातेदारी में होना वर्णित करते हुए संयुक्त खातेदार दर्ज होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा माना जाकर प्रस्तुत प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से त्रुटि कारित की गई है। अपीलांटस प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अुनसार आराजीयात पर काबिज काश्त है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात जिससे रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नहीं है को पाबंद नहीं फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रसतुत प्रकरण में अपीलांटस वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हे उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से प्रस्तुत वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रस्तुत राजस्व वाद में मिथ्या कथनो के आधार पर जवाब दावें में वर्णित कथनो के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से मान्नीय न्यायालय में निहित असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जकारी रूप से किये गये राजस्व–वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर ही वाद–पत्र का अंतिम निस्तारण करते हुए खसरा नम्बर 394 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा को अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 311 में समाहित करना पाया जाता है वर्णित करते हुए वाद–पत्र को ही निष्फल किये जाने सम्बन्धित आदेश पारित किये जाने में त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि तहसीलदार, सरवाड़ को फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है जो कि संतोषप्रद होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने राजस्व वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पर प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 394 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा को अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 311 में समाहित कर दिया गया है इसलिए अप्रार्थीगण/अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। हालांकि यह विवाद तो वाद में बाद साक्ष्य व

सुनवाई के तय होना किन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में किस प्रकार बनना पाया गया, कथन आदेश में अंकित नहीं किये है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि प्रार्थी भूमि के कब्जे में हो तथा प्रथम दृष्टया मामला बनता हों। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के तीन बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन करते हुए आदेश पारित नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किये लोक अदालत शिविर में जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नही है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर पक्षकारान को जवाब / सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करें।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 14.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख तीन बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन करते हुए पुनः आदेश पारित करे।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर